बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 61/12–13

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, सुपौल।

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि – वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री

पदा0 का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

1. श्री हरिहर नाथ झा, जिला शिक्षा अधीक्षक (दि0 1.4.08 से 7.7.08 तक)

2. श्री अनिल कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक (दि0 8.7.08 से 30.9.09 तक)

3. श्री कामेश्वर प्र0 गुप्ता, जिला शिक्षा अधीक्षक (दि0 1.10.09 से 12.12.09 तक)

4. श्री अजय कुमार सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक (13.12.09 से 31.3.11 तक)

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एंव कर्मचारियों का नाम ,पदनाम एवं कार्यकाल –

1. श्री महेन्द्र नारयण सिंह, माननीय वरीय सदस्य (दि0 27.8.09 से 31.12.09 तक)
2. श्री उदय कुमार शर्मा, माननीय वरीय सदस्य (दि0 1.1.10 से अद्यतन)
3. श्री चन्दन कुमार, कार्यालय सचिव, रोकड़पाल (दि0 15.12.10 से 31.3.11 तक)

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदा0/कर्म0 का नाम एंव पदनाम –

1. श्री उदय कुमार शर्मा, माननीय वरीय सदस्य
2. श्री युक्ति मेहरा, माननीय सदस्य
3. श्री सन्नी कुमार साहा, कार्यालय सचिव
4. श्री अमित कुमार, कम्प्यूटर आपरेटर

(छ) वरीय अंकेक्षको के नाम – 1. श्री दिलीप कुमार गुप्ता , व0 अं0– 2

2. श्री अनन्त कुमार ,व0 अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 114.06.2012

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि – दि0 9.7.2012

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 14 कार्य दिवस।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' संलग्न हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, सुपौल के लेखाभिलेखों का अंकेक्षण वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक 15.9.60 एवं कार्यालय आदेश सं0 61 दिनांक 18.4.2012 में संकलित निदेशानुसार वर्ष 08–09 से 2010 – 11 तक के प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर सम्पादित किया गया। अंकेक्षित अवधि वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक के अंतर्गत आवंटन के रूप में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा बिहार, पटना एवं जिला शिक्षा अधीक्षक सुपौल से प्राप्त बैंक ड्राफ्ट एवं बैंकर्स चेक की राशि का सत्यापन बैंक जमा पर्ची एवं जमा पंजी से शत् प्रतिशत् किया गया जिसमें कोई भिन्नता नही पायी गयी।

प्राधिकार का कार्यालय जिला स्तरीय था। जिला में पंचायती राज संस्थाओं/ नगर निकायों के द्वारा नियोजित होनेवाले प्रारंभिक, माध्यामिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के नियोजन से संबंधित अपील की सुनवाई हेतु प्रत्येक जिला में ''जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार'' कार्यालय का गठन किया गया है।

महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा इस कार्यालय का अंकेक्षण का नही किया पाया गया। वित्त(अंकेक्षण) विभाग का यह प्रथम चक्री अंकेक्षण है।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

इस कार्यालय के अंकेक्षण हेतु आवंटित अवधि वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक से संबंधित आय एवं व्यय विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' पर द्रष्टव्य है। प्रस्तुत विवरणी से स्पष्ट होगा कि वर्ष 2008–09 में आवंटन के रूप में चेक द्वारा विभिन्न मदों में जो राशि प्राधिकार कार्यालय को प्राप्त कराई गयी थी उसका व्यय उक्त वर्ष में नही किया पाया गया क्योकि इस कार्यालय का संचालन दिनाक 27.08.2009 से किया गया एवं

अभिलेखों का संधारण दिनांक 30.10.2009 से किया पाया गया। वर्ष 2009–10 में पूर्व के वित्तीय वर्ष 2008–09 की प्राप्त सभी मदों की कुल राशि राशियों को सम्मिलित कर व्यय किया पाया गया। पुनः वर्ष 2009–10 में व्ययोपरान्त शेष राशियों का प्रत्यार्पण उक्त वर्ष में न कर वर्ष 2010–11 में सम्मिलित कर व्यय किया गया एवं शेष राशियों का प्रत्यार्पण उक्त वर्ष के अंतिम में न कर वर्ष 2011–12 में किया पाया गया।

अंकेक्षण क्रम में कुल 4 (चार) आपत्तियाँ निर्गत की गयी जिसमें सभी आपत्तियों का संतोषप्रद अनुपालन कर कार्यालय द्वारा लौटायी गयी। प्रतिवेदन में आपत्तियों की मूल प्रतियाँ संलग्न की गयी है।

(i) भौतिक सत्यापन :–

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 503 दिनांक 29.01.1976 के आलोक में अंकेक्षण प्रारंभण तिथि 14.06.2012 के संवरण रोकड़ 'शून्य' का भौतिक सत्यापन संबंधित पदाधिकारी द्वारा अंकेक्षण के समक्ष किया गया जो सही पाया गया।

(ii) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि वर्ष 2008–09 से 2010–11 के रोकड़ पुस्त के प्रारंभण शेष एवं संवरण शेष का वार्षिक व्यौरा निम्न प्रकार पाया गया :–

दिनांक 30.10.09 का प्रारंभण शेष – 348000.00

दिनांक 31.3.10 का संवरण शेष – 758814.00

दिनांक 31.3.11 का संवरण शेष – 74924.00

स्पष्ट है कि आवंटित वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के अन्तर्गत एक मोटी राशि संवरण शेष के रूप में रखी गई थी जो बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 300 के प्रतिकूल है। वित्त विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 3075 दिनांक 6.5.2000 के आलोक में इस नियम का कठोरता से पालन करने का निदेश था।

भविष्य में इस नियम का दृढ़तापूर्वक पालन करना अपेक्षित है। उच्चाधिकारिया ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(4) जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, सुपौल के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त बल का व्यौरा प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ग'' पर अंकित है।

उक्त विवरणी से स्पष्ट होगा कि प्राधिकार में कार्यालय सचिव का स्वीकृत बल 1 (एक) है जो रिक्त है। कार्यालय सचिव का पद एक महत्वपूर्ण पद है जो कार्यालय संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कम्प्यूटर आपरेटर के कार्यालय सचिव के प्रभार में रहने से कार्यालय का कार्य सुचारू रूप से नही हो पाता है।

अतः विभागीय उच्चधिकारियों का ध्यान ''कार्यालय सचिव'' के स्वीकृत पद को भरने की ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

भाग – 2

शून्य

भाग– 3

(5) (i) अंकेक्षण के दृष्टांत पर रू0 60.00 की वसूली रोकड़ पंजी की आय पक्ष में प्रविष्टि किया जाना :–

कार्यालय आकस्मिकता व्यय से संबंधी अभिश्रवों एवं रोकड़ पुस्त के पारस्परिक सत्यापन में पाया गया कि अभिश्रव सं0 44/10–11 जिसका भुगतान दिनांक 16.4.2010 को किया गया था किन्तु रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में 120.00 रूपये के स्थान पर 180.00 रू0 व्यय स्वरूप अंकित किया पाया गया।

इस प्रकार 60.00 रू0 (180–120) का अधिक भुगतान दर्शाये जाने के कारण संवरण शेष को कम अंकित किया पाया गया जो संबंधित दोषी/जिम्मेवार व्यक्ति से वसूली योग्य था।

निर्गत आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा संबंधित दोषी व्यक्ति से 60.00 रू0 नगद वसूलकर दिनांक 26.06.2012 को रोकड़ पुस्त के पृ0 सं0 38 के आय पक्ष में प्रविष्टि की गयी जिसका जाँच एवं सत्यापन किया गया जो सही पाया गया। अतः अंकेक्षण में उठायी गई आपत्ति को विलोपित कर दिया गया।

(ii) **सामान्य अभ्युक्तियाँ :–**

रोकड़ का भौतिक सत्यापन नही किया जाना :–

बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86 के आलोक में प्रत्येक माह के अंत में संवरण रोकड़ का भौतिक सत्यापन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा करके इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित करना था परन्तु अंकेक्षित अवधि में ऐसा नही पाया गया जो आपत्तिजनक है।

अतः भविष्य में हरेक मासान्त में संवरण रोकड़ का भौतिक सत्यापन निश्चित रूप से किया जाय।

उप लेखा नियंत्रक

वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना।

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम</u>

(1)

(2)

<u>परिशिष्ट "क"</u>

<u>कंडिका– 1 "ट" से संबंधित</u>

अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

(क) प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. रोकड़ पंजी दिनांक 30.10.09 से 31.3.11 तक
2. वेतन एवं मानदेय भुगतान से संबंधित संचिका दिनांक 30.10.09 से 31.3.11 तक
3. चेक पंजी दिनांक 30.10.09 से 31.3.11 तक
4. चेक अद्यकट्टी दिनांक 30.10.09 से 31.3.11 तक
5. आवंटन एवं व्यय से संबंधित संचिका दिनांक 30.10.09 से 31.3.11 तक
6. अभिश्रवों की रक्षी संचिका दिनांक 30.10.09 से 31.3.11 तक
7. सामान भंडार पंजी एवं वितरण पंजी दिनांक 30.10.09 से 31.3.11 तक
8. जमा पर्ची एवं जमा पंजी दिनांक 30.10.09 से 31.3.11 तक

(ख) अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. सामान्य रोकड़ पुस्त
2. विपत्र पंजी
3. आकस्मिकता पंजी

परिशिष्ट "ख" (कंडिका 1 'ड' से संबंधित)
आय एवं व्यय विवरणी
वर्ष 2010–11

क्र0	मद	पूर्व वर्ष 09–10 की शेष राशि	चेक द्वारा प्राप्त राशि	कुल राशि	व्यय	अधिक	बचत	प्रत्यार्पण	अभ्युक्ति
1	माननीय सदस्यों का वेतन	275889	324271	600160	582538	–	17622	इस वित्तीय वर्ष में रू0 210523 में 135599 इस कार्यालय के पत्रांक 587 दिनांक 16.12.10 द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, सुपौल को वापस किया गया एवं शेष राशि 74924.00 को वित्तीय वर्ष 11–12 में व्यय किया गया। वर्ष 10–11 की बचत राशि को पत्रांक 95 दि0 7.4.12 को जिला कार्यालय पदा0 सुपौल को वापस किया गया।	
2	वाहन एवं अन्य भत्ता	109271	170729	280000	260000	–	20000		
3	कम्प्यूटर आपरेटर का मानदेय	151257	30000	181257	127353	–	53904		
4	कार्यालय भाड़ा	110000	70000	180000	180000	–	–		
5	कार्यालय आकस्मिकता	51397	30000	81397	27400	–	53997		
6	कम्प्यूटर का रख रखाव	60000	–	60000	5000	–	55000		
7	उपस्कर	1000	10000	11000	1000	–	10000		
	कुल–	758814	635000	1393814	1183291	–	210523		

परिशिष्ट "ख" (कंडिका 1 'ड' से संबंधित)

आय एवं व्यय विवरणी
वर्ष 2009–10

क्र0	मद	पूर्व वर्ष 09–10 की शेष राशि	चेक द्वारा प्राप्त राशि	कुल राशि	व्यय	अधिक	बचत	प्रत्यार्पण	अभ्युक्ति
1	माननीय सदस्यों का वेतन	120000	240000	360000	84111	—	275889	—	
2	वाहन एवं अन्य भत्ता	60000	120000	180000	70729	—	109271	—	
3	कम्प्यूटर आपरेटर का मानदेय	84000	84000	168000	16743	—	151257	—	
4	कार्यालय भाड़ा	60000	120000	180000	70000	—	110000	—	
5	कार्यालय आकस्मिकता	24000	50000	74000	22603	—	51327	—	
6	कम्प्यूटर का रख रखाव	—	60000	60000	—	—	60000	—	
7	उपस्कर	—	20000	20000	19000	—	1000	—	
	योग–	348000	694000	1042000	283186	—	758814	—	

परिशिष्ट "ख" (कंडिका 1 'ड' से संबंधित)

आय एवं व्यय विवरणी
वर्ष 2009–10

क्र0	मद	चेक द्वारा प्राप्त राशि	व्यय	अधिक	बचत	प्रत्यार्पण	अभ्युक्ति
1	माननीय सदस्यों का वेतन	120000	—	—	120000	—	कुल राशि 348000 का व्यय वर्ष 09–10 में किया गया।
2	वाहन एवं अन्य भत्ता	60000	—	—	60000	—	
3	कम्प्यूटर आपरेटर का मानदेय	84000	—	—	84000	—	
4	कार्यालय भाड़ा	60000	—	—	60000	—	
5	कार्यालय आकस्मिकता	24000	—	—	24000	—	
	योग–	348000	—	—	348000	—	

परिशिष्ट “ग”
(कंडिका 1 ड(iii) संबंधित)
जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार सुपौल के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :–

क्र0	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
1	कार्यालय सचिव	1	शून्य	1
2	कार्यालय सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटर	2	2	—
3	आदेशपाल	1	1	—